// शपथ पत्र //

(500/-रू. के नॉनज्यूडिसियल स्टॉम्प पर)

**मैं........................................................................**पिता का नाम.................आयु ...................साल

निवासी.............................................................................................................................................

प्राचार्य / संस्था प्रमुख, सचिव/अध्ययक्ष, संस्था समिति शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि, मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा निर्धारित मापदण्डों/शर्तों/नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी। यदि अनियमितता पाई जाने पर अध्ययन केन्द्र की सम्बद्धता / मान्यता समाप्त कर दी जावेगी। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और ना इसके विरूद्ध कोई परिवाद किसी न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

2 यह कि, सम्बद्धता/मान्यता हेतु दिए गये आवेदन पत्र में अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों एवं अभिलेखों को संस्था के मूल दस्तावेजों के अनुसार ही प्रमाणित किये गये हैं, वे सभी प्रपत्र सहीं एवं विधिसम्मत है।

3. यह कि, आवेदन पत्र में किसी तथ्य / प्रविष्टियों को नहीं छुपाया गया है। यदि कोई जानकारी / अभिलेख अथवा प्रविष्टियां असत्य पाई जाती है तो उसके लिए में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

4. यह कि, समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्षा/सचिव व सदस्यों तथा संस्था में समस्त कार्यरत प्राचार्य / प्रधानाचार्य व शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पूर्व में कोई आपराधिक पृष्ठीमि नहीं रही है और वर्तमान में भी उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है।

5. यह कि, मैंने मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) के सम्बद्धता / मान्यता संबंधी नियमों एवं शर्तो का अध्ययन कर लिया है तथा समिति सभी शर्तो को मान्य करती है।

6. यह कि, आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो अध्ययन केन्द्र का सम्बद्धता आवेदन निरस्त करने एवं प्राप्त सम्बद्धता को समाप्त करने का अधिकार बोर्ड / संस्थान को रहेगा।

7 यह कि, मा सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोड जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा निधारित पाठ्यक्रम में ही छात्र-छात्राओं को अध्ययन कराया जावेगा। पाठ्यक्रम में अध्ययन ना कराने की स्थिति में एवं छात्र-छात्राओं को सहीं अध्ययन एवं प्रवेश संबंधित प्रक्रिया में सहीं मार्गदर्शन नहीं देने पर संस्था की सम्बद्धता निरस्त मानी जावेगी।

2

8. यह कि, किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला मण्डला एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रहेगा।

9. यह कि, संस्था परिशिष्ट-5 में वर्णित अरुण / प्राथमिक/ माध्यमिक / हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से उत्तरमध्यमा, अंतिम खण्ड की कक्षाओं हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करती है।

10 यह कि, मां सरस्वती स्कूल शिक्षा ट्रायबल ओपन बोर्ड जिला मण्डला (म.प्र.) की सभी नियमों व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, पालन नहीं करने पर अध्ययन केन्द्र प्रभारी को बिना सूचना दिए अध्ययन केन्द्र की सम्बद्धता / मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।

11. यह कि, स्कूल एवं संस्था को बोर्ड द्वारा अस्थाई तौर पर अध्ययन केन्द्र दी जा रही है। निरीक्षण रिपोर्ट के उपरांत सही होना पाया जाने पर मान्यता दी जावेगी। यदि निरीक्षण रिपोर्ट अमान्य पाया जाता है तो मान्यता नहीं दी जायेगी।

शपथकर्ता